भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 914
दिनांक 04 दिसंबर 2025

एलपीजी सुरक्षा निरीक्षण ढांचा

†914. **डॉ. डी. रवि कुमारः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में गैस गोदामों और वितरकों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की शुद्धता और सुरक्षा की जांच के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश या गुणवत्ता मानक जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उपभोक्ताओं को वितरण करने से पहले गोदामों में एलपीजी सिलेंडरों और गैस वाशरों की नियमित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(ग) क्या सरकार को गैस गोदामों में रिसाव, निम्न गुणवत्ता वाले गैस वाशर अथवा असुरक्षित एलपीजी रख-रखाव के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कमियों को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और जवाबदेही उपायों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का सभी गैस गोदामों में एलपीजी सिलेंडर और वाशर गुणवत्ता सत्यापन में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य तृतीय पक्ष निरीक्षण या डिजिटल निगरानी प्रणाली शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिनियमों/नियमों/दिशानिर्देशों के अधीन है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000** - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 (एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000) निर्गत किया है, जिसका अधिदेश है कि देश भर में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देश आईएस 4576, जिसमें एलपीजी के लिए गुणवत्ता सम्बन्धी विनिर्देशों का विवरण दिया गया है, को पूरा करे।

(ii) **स्टैटिक एंड मोबाइल प्रैशर वैसल (अनफायर्ड) नियमावली, 2016** - संरचनात्मक और परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा निर्गत इस नियमावली से

एलपीजी प्रैशर वैसलों और भंडारण टैंकों के डिजाइन, स्थापना, संचालन, निरीक्षण और परीक्षण को नियंत्रित किया जाता है।

(iii) **गैस सिलेंडर नियमावली, 2016** – इसे पीईएसओ द्वारा निर्गत किया गया है जो सिलेंडर की गुणवत्ता और उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी सिलेंडरों के निर्माण करने, भरने, प्रमाणन, आवधिक परीक्षण और सुरक्षित रखरखाव को विनियमित करते हैं।

एलपीजी सिलेंडरों का निर्माण आई-3196 (भाग 1) के अनुसार मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर (सीसीओई) द्वारा अनुमोदित और बीआईएस अनुज्ञप्तिधारक निर्माताओं द्वारा किया जाता है। संयंत्रों में प्राप्त सभी नए एलपीजी सिलेंडरों का आवक सामग्री संबंधी गहन निरीक्षण किया जाता है, जिसमें नमूने एलपीजी उपकरण अनुसंधान केंद्र (एलईआरसी), बैंगलोर भेजना भी शामिल है। गुणवत्ता संबंधी किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में, गुणवत्ता, अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार दोषी विनिर्माता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

इसके बाद, इन एलपीजी सिलेंडरों का निर्माण तिथि के 10 वर्ष बाद पहला वैधानिक परीक्षण और पेंटिंग (एसटीएंडपी) किया जाता है। इसके बाद, इन एलपीजी सिलेंडरों का प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एसटीएंडपी किया जाता है। एलपीजी सिलेंडरों का यह परीक्षण तेल विपणन कंपनियों द्वारा या तो आंतरिक रूप से या पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित मरम्मतकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है।

सभी भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों को बाज़ार में भेजे जाने से पहले एलपीजी भरण संयंत्र में गहन जाँच की जाती है। इन जाँचों में प्रमुख सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंड जैसे सही शुद्ध वजन, पुन: जाँच की उचित तिथि, रिसाव का अनुपस्थिति, उचित सीलिंग, ओ-रिंग रिसाव और सिलेंडर की समग्र स्थिति आदि शामिल होते है जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

उपभोक्ताओं को वितरण से पहले एलपीजी सिलेंडरों की नियमित गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

- अधिकारी वितरकों के गोदामों, वितरण केन्द्रों तथा रास्ते में आकस्मिक जाँच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वितरकों द्वारा सही वजन के सिलेंडर वितरित किए जाएं।
- वितरक अपने गोदामों में सिलेंडरों का वजन जाँचते हैं। वितरकों को निर्देश दिया जाता है कि वे ग्राहकों को सिलेंडर की डिलीवरी के समय उसकी प्री-डिलीवरी जाँच करें।
- सभी वितरक अपने सभी डिलीवरी-बॉय को पोर्टेबल तराजू उपलब्ध कराते हैं, ताकि ग्राहकों को डिलीवरी से पहले सिलेंडर के वजन की मांग को तद्नुसार जाँचा जा सके।
- वितरक यह सुनिश्चित करते हैं कि सीलों का सत्यापन किया जाए तथा डिलीवरी के समय ग्राहकों को दिखाया जाए।
- एलपीजी की चोरी को रोकने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय में ओएमसी अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण/छापेमारी की जाती है और जिला प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अधीन मामले पंजीकृत किए जाते हैं।
- देश भर में छेड़छाड़-रोधी मुहरों का उपयोग किया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक हैं कि एलपीजी कनेक्शन की स्थापना के लिए निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के बाद ही कनेक्शन जारी किए जाएँ। सभी क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान करते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान, मानदंड और किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) एलपीजी के सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वितरक द्वारा सुरक्षा क्लिनिकों का आयोजन किया जाना।

(ii) ऑडियो-वीडियो/प्रिंट मीडिया, बैनर/होर्डिंग्स, लीफलेटों, पैम्फलेटों आदि के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।

(iii) पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के सुरक्षित और निर्बाध उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गाँवों में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाना।

(iv) एलपीजी कनेक्शन निर्गत करते समय प्रत्येक पीएमयूवाई लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित क्या करें और क्या न करें के चित्रमय चित्रण का एक लेमिनेटेड सुरक्षा कार्ड प्रदान किया जाना। प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा ग्राहक के परिसर में एलपीजी कनेक्शन की स्थापना किया जाना।

उपभोक्ता एलपीजी रिसाव की शिकायत तेल विपणन कंपनियों द्वारा संचालित 24 घंटे टोल-फ्री हेल्पलाइन 1906 पर दर्ज करा सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में वितरित कुल 194.7 करोड़ एलपीजी सिलेंडरों में से, वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों को 4.70 लाख रिसाव की शिकायतें प्राप्त हुईं। प्राप्त 4.70 लाख रिसाव शिकायतों में से 2.53 लाख मामले दोषपूर्ण ओ-रिंग के कारण थे।

एलपीजी उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरे देश में "खुशियाँ अब तीन गुना" थीम के साथ एक बुनियादी सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के घर-घर तक जागरुकता पहुँचना था। यह अभियान उपभोक्ताओं को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रारुपित किया गया था, जिसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता पहल, ग्राहक परिसरों में ऑन-साइट सुरक्षा जाँच और सुरक्षा होज़ों के प्रतिस्थापन द्वारा पूरित किया गया था। इस अभियान ने उल्लेखनीय प्रगति की, जिसमें उपभोक्ता परिसरों में बिना किसी लागत के 12.12 करोड़ से अधिक निःशुल्क बुनियादी सुरक्षा जाँचें की गईं और 4.65 करोड़ से अधिक एलपीजी होज़ों को रियायती दरों पर बदला गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों, जैसे एलपीजी पंचायतों और विद्यालयों में एलपीजी सुरक्षा क्लीनिकों के साथ-साथ आम जनता तक पहुँच बढाने के लिए ऑडियो-विजुअल (एवी) सामग्री का उपयोग किया गया। पहुँच और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इन एवी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया।

*****